

भारत सरकार
रेल मंत्रालय

लोक सभा
05.02.2020 के

अतारांकित प्रश्न सं. 652 का उत्तर

विश्वस्तरीय सुविधाएं

652. श्री रंजीतसिन्हा हिन्दूराव निम्बालकर:
डॉ. सुजय विखे पाटील:
श्री हेमन्त पाटिल:
श्री धैर्यशील संभाजीराव माणे:
डॉ. श्रीकांत एकनाथ शिंदे:

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) सरकार द्वारा अब तक देशभर में यात्रियों को विश्वस्तरीय सुविधाएं प्रदान करने के लिए जोन-वार कितने रेलवे स्टेशन विकसित किए गए हैं;
- (ख) इस संबंध में रेलवे स्टेशनों के सुधार और परिवर्तन हेतु वर्तमान नीति क्या है;
- (ग) क्या सरकार ने देशभर में रेलवे स्टेशनों के आधुनिकीकरण में निजी क्षेत्रों की भागीदारी चाही है;
- (घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर निजी क्षेत्र की क्या प्रतिक्रिया है;
- (ङ) क्या सरकार ने इस संबंध में विदेशों के साथ समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किया है;
- (च) यदि हां, तो तत्संबंधी देश-वार ब्यौरा क्या है और इन एमओयू की निबंधन और शर्तें क्या हैं; और
- (छ) सरकार द्वारा देश के सभी रेलवे स्टेशनों पर विश्वस्तरीय सुविधाएं प्रदान करने के लिए अन्य क्या कदम उठाए गए हैं/ उठाए जा रहे हैं?

उत्तर

रेल और वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री (श्री पीयूष गोयल)

- (क) से (छ): एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विश्वस्तरीय सुविधाओं के संबंध में दिनांक 05.02.2020 को लोक सभा में श्री रंजीतसिन्हा हिन्दूराव निम्बालकर, डॉ. सुजय विखे पाटील, श्री हेमन्त पाटिल, श्री धैर्यशील संभाजीराव माणे और डॉ. श्रीकांत एकनाथ शिंदे के अतारांकित प्रश्न संख्या 652 के भाग (क) से (ख) के उत्तर से संबंधित विवरण।

(क) और (ख): रेल मंत्रालय ने सरल प्रक्रियाओं के माध्यम से और लंबी लीज अवधियों के लिए भारतीय रेल स्टेशन विकास निगम लिमिटेड (आईआरएसडीसी), रेल भूमि विकास प्राधिकरण (आरएलडीए) और केन्द्र सरकार की अन्य एजेन्सियों द्वारा रेलवे स्टेशनों के पुनर्विकास हेतु योजना बनाई है। तदनुसार, स्टेशनों के तकनीकी-आर्थिक व्यवहार्यता अध्ययन करने का कार्य आईआरएसडीसी और आरएलडीए द्वारा शुरू किया गया है। व्यवहार्यता अध्ययन के परिणाम के आधार पर इन स्टेशनों का चरणों में पुनर्विकास करने की योजना बनाई जाएगी।

पुनर्विकसित स्टेशन में प्रस्तावित सुविधाओं में स्टेशन परिसर तक भीड़-भाड़ रहित बाधामुक्त प्रवेश/निकास, यात्रियों के आवागमन/प्रस्थान का पृथक्करण, भीड़-भाड़ रहित पर्याप्त सम्मिलन क्षेत्र, शहर के दोनों ओर का एकीकरण जहां-कहीं भी व्यवहार्य हो, परिवहन प्रणालियों के अन्य माध्यमों यथा बस, मेट्रो आदि से जोड़ना, यूजर फ्रेंडली अंतरराष्ट्रीय संकेत चिह्न, अच्छी तरह से प्रकाशमान परिचलन क्षेत्र और ड्राप-ऑफ, पिक-अप एवं पार्किंग के लिए पर्याप्त व्यवस्था आदि शामिल हैं।

गांधीनगर (पश्चिम रेलवे) और हबीबगंज (पश्चिम मध्य रेलवे) रेलवे स्टेशनों पर पुनर्विकास का कार्य प्रगति पर है। गोमती नगर (पूर्वोत्तर रेलवे), आनंद विहार (उत्तर रेलवे), बिजवासन (उत्तर रेलवे) और चंडीगढ़ (उत्तर रेलवे) स्टेशनों के पुनर्विकास के लिए ठेके प्रदान कर दिए गए हैं।

(ग) और (घ): जी हां। रेलवे ने विकासकर्ताओं का निर्धारण करके बड़े रेलवे स्टेशनों के पुनर्विकास की योजना बनाई है। हबीबगंज (भोपाल), गांधीनगर (गुजरात), गोमतीनगर, आनंद

विहार, बिजवासन और चंडीगढ़ आदि जैसे स्टेशनों जहां स्टेशन के पुनर्विकास के लिए निविदाएं जारी कर दी गई हैं, के लिए निजी विकासकर्ताओं द्वारा रूचि दिखाई गई है।

(ड) और (च): भारत और अन्य देशों के बीच रेलवे स्टेशनों के पुनर्विकास के लिए कोई समझौता ज्ञापन नहीं है।

(छ): निम्नलिखित योजनाओं के माध्यम से भी स्टेशन पुनर्विकास की योजना है:

- 1) रेल मंत्रालय और भारत सरकार के अन्य मंत्रालयों द्वारा संयुक्त रूप से।
- 2) केंद्र सरकार के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को शामिल करके।
- 3) राज्य सरकारों के सहयोग से।
